

फर्द अहकाम

राम सिंह बनाम सुरेश सिंह

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फानी

केस संख्या 27/2019 T 2

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
----------	---------------------------	-----------------------	-------------

6/10/25 पत्रावली पेश हुई। पञ्जोराम वकील उपर
पत्रावली मूलवाद के साथ पेश है। पत्रावली
दिनांक 27/10/25 को पेश है।

राम सिंह

उपखण्ड अधिकारी
फानी

27/10/25 पत्रावली पेश हुई। पञ्जोराम वकील उपर
पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक
4/12/25 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
फानी

24/11/25 आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा
विद्वा प्रा. पत्र पेश करने पर तलब की गयी
प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपने
विद्वा प्रा. पत्र में बताया कि अब अपने उ.पत्र
बाबत अल्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं
चलाना चाहता है तथा इसी स्तर पर
खारिज किया जाने का निवेदन किया।
अतः प्रार्थी का उ.पत्र अल्थाई निषेधाज्ञा
को विद्वा उ.पत्र के आधार पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली कुल शुमार
होकर दर्ज नम्बर से कम हो गायिल
दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
फानी

राम सिंह